CANCELLED CANCELLED CANCELLED

(1)

(64)

समक्ष न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर म०प्र०·

निगरानी प्रकरण क्रमांक --------/ 2012- 2013
R-4086 /I/13

पुनरीक्षणकर्ता/ आवेदक : मानिक राव पिता महादेव राव (मृत)
वारसान द्वारा बाबूनंदन मानिकराव निकोसे
पिता स्व० मानिक राव उम्र लगभग 57 वर्ष
निवासी ई/102/ 3 शिवाजी नगर,
भोपाल म०प्र० ।

श्री ए. के. गौतम
अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत
प्रस्तुतकर्ता ...
28 SEP 2013
अधीक्षक
कार्यालय कमिश्नर, जबलपुर संभाग

विरुद्ध

गैरपुनरीक्षणकर्तागण : 1· श्रीमति सुभद्रा बेवा महादेव राव गजभिये
अनावेदकगण 2· भीमराव पिता महादेव राव गजभिये
3· योगेश पिता महादेव राव गजभिये
4· श्यामराव पिता महादेव राव गजभिये
उपरोक्त सभी निवासी ग्राम सीतापार
(प्रेमडा) तहसील सौसर जिला छिंदवाडा
म०प्र० ।

(283)

11-11-13

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म०प्र० भू-राजस्व संहिता 1959·

COMMISSIONER OF OATHS FOR THE HIGH COURT
Smt. Manju Singh Parmar
22/8/13
JABALPUR

पुनरीक्षणकर्ता माननीय न्यायालय के समक्ष यह पुनरीक्षण याचिका अधीनस्थ न्यायालय जबलपुर संभाग जबलपुर द्वारा अपील प्रकरण क्रमांक 729/अ-6/ 04-05 में पारित आदेश दिनांक 5·8·2013 एवं प्रथम अपील न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी सौसर द्वारा प्र०क्र० 12/अ-6/04-05 में पारित आदेश दिनांक 4·8·05 से परिवेदित होकर निम्नलिखित तथ्यों एवं आधारों के तहत प्रस्तुत करता है कि :--

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 4060–एक/13 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–06–16	प्रकरण का अवलोकन किया गया । यह निगरानी अपर आयुक्त, जबलपुर संभाग, जबलपुर के प्रकरण क्रमांक 729/अ–6/04–05 में पारित आदेश दिनांक 5–8–13 के से व्यथित होकर म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है । 2/ प्रकरण के तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में विस्तार से उल्लिखित होने से उन्हें पुनः दोहराने की आवश्यकता नहीं है । 3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से हयह तर्क दिए गए हैं कि दोनों अपीलीय न्यायालयों के आदेश त्रुटिपूर्ण हैं । अनुविभागीय अधिकारी सौंसर द्वारा पारित आलोच्य आदेश में युक्तियुक्त कारण नहीं दर्शाया गया है, स्वत्व के प्रश्न का आधार बनाते हुए विचारण का आदेश निरस्त करना न्यायसंगतनहीं है । आवेदक की दादी मु0स तुलसी बल्द यशवंता का नाम उक्त भूमि पर सहखातेदार के रूप में दर्ज है ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा आवेदक का नाम दर्ज करने संबंधी आदेश उचित है जिसे निरस्त करने में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा त्रुटि की गई है । यह कहा कि जिन 5 विचारणीय बिंदुओं का निर्धारण अनुविभागीय अधिकारी ने किया था उनका निराकरण विचारण न्यायालय द्वारा विश्लेषण कर पारित किया गया है । यह तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश	

निग. 4060/I/13

(3)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	इस कारण भी त्रुटिपूर्ण है कि उन्होंने वर्ष 1967–68 में तुलसीबाई का नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज होने का उल्लेख किया है वहीं वर्ष 1970–71 के अधिकार अभिलेख में नाम दर्ज न होने तथा वाद वाले वर्षों में नाम दर्ज होने का गलत विश्लेषण किया गया है । तुलसीबाई का नाम वर्ष 1914–15 से 1967–68 तक अभिलेख में मिलता है मात्र 1970–71 में नाम नहीं होने के आधार पर आलोच्य आदेश पारित करना विधि की गंभीर त्रुटि है । उक्त आधारों पर आवेदक अधिवक्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को निरस्त कर विचारण न्यायालय के आदेश को स्थिर रखने का अनुरोध किया गया है । 4/ अनावेदकगण की ओर से लिखित बहस पेश की गई है । जिसमें मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि प्रश्नाधीन संपत्ति उनके पूर्वजों की पैत्रिक संपत्ति है आवेदक का कों स्वत्व नहीं है उसने झूंठे आधारों पर तहसीलदार के समक्ष आवेदन पेश किया गया । आज भी अनावेदकों का आधिपत्य भूमि पर है । पक्षकारों के मध्य स्वत्व का विवाद होने से विचारण न्यायालय ो यह मानना चाहिए था कि उक्त विवाद का विचारण व्यवहार न्यायालय द्वारा ही किया जा सकता है । तुलसाबाई की मृत्यु 1965 में हुई उसके बाद विवादित भूमि चिरकुटिय व महादेव के नाम दर्ज हुई । चिरकुटिया के बाद विवादित भूमि महादेव के नाम हो गई । उस समय आवेदक द्वारा कोई आपत्ति नही की गई न विधिक कार्यवाही की गई । यह तर्क दिया गया कि आवेदक द्वारा 35 वर्ष बाद विचारण न्यायालय के समक्ष आवेदन पेश किया गया जिसे स्वीकार करने में तहसीलदार द्वारा त्रुटि की गइ है । आवेदक का मामला नामांतरण से संबंधित न होकर स्वत्व के संबंध में है । अतः अनुविभागीय अधिकारी	

(5)

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – निग0 4060–एक/13 जिला – छिंदवाड़ा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	द्वारा पारित आदेश उचित है जिसे स्थिर रखने में अपर आयुक्त ने कोई त्रुटि नहीं की है । यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा न केवल नामांतरण हेतु आवेदन पेश किया गया है बल्कि खसरे मे दर्ज प्रविष्टियों को बदलने हेतु आवेदन दिया या है जो संहिता की धारा 109 एवं 110 की परिधि में नहीं आता है । अपने तर्कों के समर्थन में आई.एल.आर. 2014 एम. पी. 424 के न्यायदृष्टांत का हवाला देते हुए निगरानी निरस्त किए जाने का अनुरोध किया गया है । 5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । इस प्रकरण में अपर आयुक्त ने स्पष्ट किया है कि आवकेदक द्वारा विचारण न्यायालयक में अधिवक्ता अभिलेख वर्ष 1914–15 की कथित प्रमाणित प्रति जो दिनांक 17–6–04 की है वह मूल रूप से प्रमाण्किात प्रति नहीं है बल्कि किसी दस्तावेज की फोटो प्रति है जिस पर 2 रूपये का कोर्ट फीस स्टाम्प लगा है । इस कारण उसे उन्होंने विश्वसनीय नही है, जो उचित है । इसके अतिरिक्त उन्होंने यह भी पाया है कि विचारण न्यायालय में प्रस्तुत अधिकार अभिलेख वर्ष 1970–71 की प्रमाणित प्रति में तुलसीबाई का नाम दर्ज नहीं है । किश्तबंदी खतौनी 1971–72 के अलावा तुलसीबाई का नाम पश्चात वर्ती प्रस्तुत दस्तावेजों में दर्ज नहीं है । उक्त वर्ष में नाम क्यों जोड़ा गया और बाद के वर्षों में क्यों	

निग. 4060/I/13

(5)

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	हटाया गया इसका कोई उल्लेख न होने से उन्होंने प्रकरण को नामांतरण का न मानकर अधिकार अभिलेख के संशोधन का माना है और उक्त आधारों पर उन्होंने तहसीलदार को अधिकार अभिलेख में संशोधन की अधिकारिता न होना मानने में तथा अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करने में कोई वैधानिक त्रुटि नहीं की है । प्रकरण के तथ्यों को देखते हुए अपर आयुक्त का आदेश उचित न्यायिक एवं विधिसम्मत है जिसमें हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं है । परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश स्थिर रखा जाता ह । उभयपक्ष सूचित हो एवं अभिलेख वापिस हों । सदस्य	